

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 17.07.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाये जा रहे वारंटियों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानों द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. पूनम पत्नी मजनू नि० गढ़ी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-164/21, 02. अर्जुन पुत्र हरिशचन्द्र नि० गढ़ी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-165/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना कौडिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विक्रम कुमार पुत्र रामदुलारे चौहान नि० ग्राम मंगलनगर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-123/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामऔतार पुत्र भगम नि० अवरता थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-112/21, 02. विजयपाल पुत्र केशवराम नि० घोडहनपुरवा अइली परसौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-113/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत कार्यवाही की गयी।

04. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. संजय तिवारी पुत्र महेश्वर प्रसाद तिवारी नि० नरायनपुर ईधा थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-542/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. संजय कुमार पुत्र शम्भू प्रसाद नि० खटकहिया अमवा थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 30 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-201/21, 02. झगरू पुत्र प्रहलाद नि० खटकहिया अमवा थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 30 ली० अवैध

कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-202/21, 03. मेनका पत्नी स्व0 छट्टी लाल नि0 बस्तीपुरवा भिटौरा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 25 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-203/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 17.07.2021

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर के उ0नि0 दिवाकर मिश्रा मय हमराह क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त रामपाल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अलप्राजोलम की 160 गोली बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपुर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रामपाल पुत्र अनंतराम नि0 ग्राम बंनघुसरा मौजा हरचंदपुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-188/21, धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. अलप्राजोलम की 160 टेबलेट।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 दिवाकर मिश्रा मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 17.07.2021

02 शातिर चोर गिरफ्तार, बिजली टॉवर की 02 प्लेटे बरामदः—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना नवाबगंज पुलिस क्षेत्र **भ्रमण/तलाश** वांछित अभियुक्त में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर 02 अभियुक्तों—01. प्रदीप सिंह, 02. सदा प्रकाश को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बिजली टॉवर की 02 प्लेटे बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तगणों ने यू0पी0 पीसी0एल0 सीरसा प्लांट से 02 टॉवर की प्लेटे चोरी की थी। जिसके सम्बन्ध में सीरसा प्लांट के गार्ड द्वारा थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. प्रदीप सिंह उर्फ दुर्गेश पुत्र रामकुमार नि0 रामघाट थाना को0 अयोध्या जनपद अयोध्या।
02. सदा प्रकाश उर्फ मन्दू पुत्र रामस्वारथ नि0 पूरा बाजार महाराजगंज अयोध्या जनपद अयोध्या।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—197/21, धारा 379.411 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगीः—

01. बिजली टॉवर की 02 अदद प्लेटे।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

- उ0नि0 सुनील कुमार मय टीम।